उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2– 1071 /ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(85)–2012

लखनऊ::दिनांकः: 10 अक्टूबर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र मे माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 से, समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–2757/ग्यारह–9(1)08–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश–(31)–2008 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कम संख्या 14 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार कमशः रख दी जायेंगी, अर्थात:–

कम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
14-	निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर केन्द्रीय विकय–कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात– (i) पिग आयरन, स्पज आयरन एवं कास्ट आयरन, जिसके अन्तर्गत इनगट मोल्डस, बाटम प्लेट्स, आयरन स्कैप, कास्ट आयरन स्कैप, रनर स्कैप एवं आयरन स्कल स्कैप सम्मिलित है; (ii) स्टील सेमीज (सभी क्वालिटियों, आकृतियों और आकारों की सिल्लियाँ, पट्टियाँ, ब्लूम और बिलेट); (iii) पिघले इस्पात के सभी रूप के स्कैप, जिनके अन्तर्गत इस्पात के स्कल, खरादन और वेदन भी हैं; (iv) **तारों की छड़ें**, तार–वेल्लित, खींचे गये, जस्तेदार, अल्यूमिनियम–युक्त, कलईदार या विलेपित जैसे ताँबे से, (v) हाट रोल्ड क्वायल।	माल के मूल्य का पाँच प्रतिशत

आज्ञा से,

(संजीव नायर)

प्रमुख सचिव।